न्यायालय जिला न्यायाधीश, मेड़ता (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-तारा अग्रवाल (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध प्रकरण सं 20/2025

CIS NO 20/2025

समदरसिंह पुत्र तंवर पुत्र किरणसिंह तंवर, निवासी म.नं.85, पलटन बाजार अजमेर, हाल निवासी मकान नंबर 18 शिवालिक नगर, जीवन मंदिर कॉलोनी, लोहागल रोड, अजमेर।

... प्रार्थी

विरूद्ध

1-जगदीशसिंह शेखावत पुत्र खेतसिंह, निवासी भैरून्दा, तहसील रियांबडी, जिला नागौर।

2-श्रीमती राजकंवर पत्नी जगदीशसिंह शेखावत, निवासी भैरून्दा, तहसील रियांबडी, जिला नागौर।

3-मंजीतसिंह शेखावत पुत्र जगदीशसिंह शेखावत, निवासी भैरून्दा, तहसील रियांबडी, जिला नागौर।

4-दुर्गेश कंवर पत्नी मंजीतसिंह शेखावत, निवासी भैरून्दा, तहसील रियांबडी, जिला नागौर।

5-जितेन्द्रसिंह पुत्र जगदीशसिंह, निवासी भैरून्दा, तहसील रियांबडी, जिला नागौर।

6-रचना कंवर पत्नी जितेन्द्रसिंह, निवासी भैरून्दा, तहसील रियांबडी, जिला नागौर।

7-उप पंजीयक, भैरून्दा, जिला नागौर।

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2

सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

...

उपस्थित-

1-श्री कृष्ण गोपाल खत्री, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2-श्री सुनिल जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी 1 से 4 की ओर से।

3-श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी 5,6 की ओर से।

4-श्री अभिमन्यु शर्मा, राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी-7 की ओर से।

::आदेश::

दिनांक 06–05–2026

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पेश किया है, जिसमें उसने यह कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या–1 जगदीशसिंह शेखावत पूर्व में भारतीय सेना से रिटायर्ड फौजी है तथा अप्रार्थी संख्या–2 उसकी पत्नी है तथा अप्रार्थी संख्या 3 से 6 उनके पुत्रगण व पुत्रवधु है। प्रार्थी स्वयं भी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से 2019 में रिटायर्ड होकर आया है, इस कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य जान–पहचान है पारिवारिक रिश्तेदारी होने से उनके मध्य आपसी लेन–देन एवं उठना–बैठना रहा है।

2– प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य जान–पहचान होने के कारण कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2022 में अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रार्थी के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि वह रिटार्ड के बाद इन्वेस्टमेन्ट/ब्याज का काम करते है, यदि प्रार्थी अप्रार्थी के उक्त इन्वेस्टमेन्ट/ब्याज के व्यापार में अपना पैसा पदअमेज किया तो अप्रार्थी प्रार्थी को मूल राशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज अदा करेगा और मूल राशि ब्याज समेत अप्रार्थी प्रार्थी को वर्ष की समाप्ति पर एक साथ एक मुश्त अदा किये जाने का आश्वासन दिया। इस पर प्रार्थी ने दिनांक 22–01–2022 को 10,00,000/– अप्रार्थी संख्या–1 को उसके (अप्रार्थी संख्या–1) के निवास स्थान पर अपने रिश्तेदार भंवरसिंह के समक्ष सुपुर्द कर दी, जिसकी ऐवज में अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रार्थी को एक लिखित तहरीर अपने हस्ताक्षर कर प्रार्थी के पक्ष में जारी की।

3– प्रार्थी ने आगे बताया कि उसके पिता ने भी अपनी पौतियों के उज्ज्वल

भविष्य के लिये 7,00,000/–रूपये अप्रार्थी संख्या–1 को दिनांक 04–06–2022 को अप्रार्थी ने प्राप्त कर इस संबंध में भी एक तहरीर अपने हस्ताक्षरों से जारी की। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा जून, 2022 तक प्रार्थी से कुल राशि 17,00,000/–रूपये प्राप्त कर ली। इसके बाद फिर दिनांक 04–09–2022 को प्रार्थी ने अपनी पत्नी से 10,00,000/–रूपये प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या–1 को इसी शर्त पर सुपुर्द की गई और इसके बदले अप्रार्थी संख्या–1 ने एक तहरीर अपने हस्ताक्षरों से जारी की गई तथा अप्रार्थी संख्या–1 ने उक्त तीनों राशियों को उक्त वर्णित समय समय पर प्रतिवादी संख्या 2 वादी की पत्नी राजकंवर द्वारा प्राप्त कर अपने पुत्र मंजीतसिंह के समक्ष पुत्रवधु अप्रार्थी संख्या–4 दुर्गेशकंवर पत्नी मंजीतसिंह को इस राशि को यथोचित स्थान पर सुरक्षित रखने के लिये सुपुर्द की गई। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा दिनांक 04–09–2022 तक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा दिये गये आश्वासनों के चलते कुल 27,00,000/–रूपये अप्रार्थी पक्ष को सुपुर्द की गई परन्तु अप्रार्थी संख्या–1 ने उक्त राशि प्रार्थी को नहीं लौटाई। अन्त में प्रार्थी ने निवेदन किया कि वाद की सुनवाई तक इस प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 13 में वर्णित अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की सम्पतियों को हस्तांतरित किये जाने पर रोक लगाने के साथ साथ इन संपतियों के मोके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेन के आदेश फरमाया जावे।

4– अप्रार्थी संख्या 1 से 4 एवं 5 व 6 की ओर से पृथक पृथक जबाब पेश किया गया जिसमें उन्होंने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

5– आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता क प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस तर्क रहा कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के साथ धोखा करके उससे 27,00,000/–रूपये व्यापारिक प्रयोजन से ब्याज हेतु प्राप्त कर उसे वापस नहीं लौटाया। यदि उक्त राशि प्रार्थी को वापस नहीं लौटाई गई तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं

अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 13 में वर्णित संपतियों को मूल वाद की सुनवाई तक हस्तांतरित किये जाने से रोका जावे तथा इन संपतियों के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जावे। प्रार्थी की ओर से अपने तर्को के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये, जिनका सादर अवलोकन किया गया–

1. Hon'ble Madras High Court Parvathavarthni @ Kuppammal @ Rajiv Vs Heerachand Surana
2. Calcutta High Court Premraj Mundra Vs Md. Maneek Gazi and ors, AIR1951CAL156
3. Madras High Court, Shri R.S. Pillai Vs Smt. M.L. Peratchi @ Selvi and 10 ors.,
AIR2000MAD483
4. Calcutta High Court, Harleen Jairath Vs Prabha Surana& Anr., AIRONLINE 2019 CAL695.

6– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने इन तर्को का विरोध करते तर्क दिया कि प्रार्थी ने गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा कथित राशि की लिखित फर्जी बनाकर पेश की गई है। उसके पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रमाणित नहीं है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी की ओर से अपने तर्को के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये, जिनका सादर अवलोकन किया गया।

1. S.P. Chengalvaraya Naidu (Dead) By.... Vs Jagannath (Dead), AIR1994sc853
2. A.V. Papayya Sastry & Ors. Vs Government of A.P.& Ors., Case no. Appeal (civil) 5097-5099 of 2004
3. Sahakari Khand Udyong Mandal Ltd. Vs Commissioner of Central Excise and...., AIR 2005 SUPREME COURT 1897
4. Kedar Nath Motani And ors. Vs Prahlad Rai And Ors., AIR1960SC213
5. Jasdeep Singh Bains Vs The State of Union Territory Chandigarh, I(2005)BC32.

7– उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय को निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक होता है–

1–<u>प्रथमदृष्टया मामला–</u>

8– पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थी जगदीशसिंह द्वारा दिनांक 22–

01–2022 को 10,00,000/–रूपये, दिनांक 04–06–2022 को 7,00,000/–रूपये तथा दिनांक 04–09–2022 को 10,00,000/–रूपये प्राप्त करने बाबत लिखित पत्रावली पर है, परन्तु क्या ये लिखत फर्जी है अथवा सही है, ये लिखित उपरोक्त वर्णित प्रयोजन हेतु ही ली गई है या अन्य किसी प्रयोजन से लिखी गई है, यह साक्ष्य का विषय है, इसका निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य के उपरान्त ही किया जा सकेगा। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के द्वारा प्रार्थी/वादी से प्रत्यक्षत: कोई राशि प्राप्त नहीं की गई। अत: प्रथमदृष्टया अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के विरूद्ध यह मामला प्रकट नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्ध मामला प्रकट होता है।

9– प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 को वाद की विषय–वस्तु राशि 27,00,000/– मय ब्याज प्राप्त करने हेतु वाद पेश किया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के नाम दर्ज विभिन्न अचल सम्पतियों के हस्तांतरण पर रोक लगाये जाने बाबत अनुतोष मांगा गया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा दिनांक 09–10–2023 को प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रतिवादी संख्या–4 के पक्ष में किये गये दान पत्र विलेख द्वारा अन्तरण को शून्य व प्रभावहीन घोषित किये जाने का अनुतोष मांगते हुए वर्तमान प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की सम्पतियों को हस्तांतरित करने से रोक लगाने के साथ इन सम्पतियों की यथास्थिति बनाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया जबकि उक्त समस्त सम्पतियां प्रार्थी की दावा राशि 27,00,000/– को चुकाने बाबत किसी भी प्रकार का कोई शर्तनामा/इकरारनामा पत्रावली पर पेश नहीं किया है जिसमें उक्त राशि चुकाने बाबत उक्त वर्णित किसी भी सम्पति को अंकित किया हो। इस प्रकार उक्त समस्त सम्पतियों के विरूद्ध प्रार्थी/वादी का कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता है।

<u>2–सुविधा का संतुलन</u>

10– प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी अपने पक्ष में प्रमाणित नहीं कर पाया है, ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है क्योंकि वाद पत्र में वर्णित संपतितयॉ किसी भी प्रकार से वादी/प्रार्थी द्वारा दावा की गई

राशि के प्रति भारित नहीं है। ऐसे में प्रार्थी/वादी को होने वाली असुविधा की तुलना में यदि सम्पतियों के हस्तांतरण न करने पर किसी भी प्रकार का आदेश दिया जाता है तो अप्रार्थी को सम्पतियों के अन्तरण के मौलिक अधिकार से वंचित होना पडेगा। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी/वादी प्रमाणित नहीं कर सका है।

<u>3–अपूर्णीय क्षति–</u>

11– यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपूर्णीय क्षति वह क्षति है जिसका आंकलन नहीं किया जा सकता और उसकी धनराशि द्वारा पूर्ति नहीं की जा सकती, परन्तु प्रस्तुत वाद धनराशि के पुनर्वास हेतु पेश किया गया है न कि किसी अचल सम्पति में किसी प्रकार के निहित हेत के लिये पेश किया गया है। अत: प्रार्थी/वादी को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होगी, यह प्रमाणित नहीं है।

12– उपरोक्त किये गये विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहा है। अत: प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार योग्य नहीं है।

13– परिणामस्वरूप प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(तारा अग्रवाल)
जिला न्यायाधीश
मेड़ता।

14– आदेश आज दिनांक 06–05–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला न्यायाधीश
मेड़ता।